

समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी तथा भोजपुर में उद्योगों की स्थापना

बिहार

432. श्री राम सेबक हजारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उत्तरी बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 1977 तथा 1978 (31-10-78) जारी किये गये औद्योगिक लाईसेंस तथा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाणपत्रों का व्योमः—

औद्योगिक लाईसेंस

(क) क्या समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, भोजपुर तथा उत्तर बिहार के अन्य जिले औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं ;

क्रम सं०	आवेदन कर्ता का नाम और पता तथा उपक्रम का स्थान	उत्पादन की वस्तु
----------	---	------------------

(ख) क्या इन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

1	मैसर्स बिहार स्टेट लैडर इन्डस्ट्रीम डवलपमेंट कारपोरेशन लि० पटना (बाटियाह, पश्चिम चम्पारन—बिहार)	तैयार क्रीम अपर चमड़ा
---	---	-----------------------

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों पर उद्योगों की स्थापना कब तक हो जाने की आशा है और तत्संबंधी व्योम क्या है ?

2	बिहार स्टेट लैडर इन्डस्ट्रीस डवलपमेंट का० लि० पटना (मुजफ्फरपुर—बिहार)	तैयार चमड़ा
---	---	-------------

उद्योग मंत्रालय में राख्य मंत्री (श्रीमती आशा भादुरि): (क) जी हां। किन्तु भोजपुर बिहार राज्य का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ जिला है।

3	मैसर्स मोतीलाल पदमपत उद्योग लि० कानपुर (य०पी०) (पश्चिम चम्पारन—बिहार)	चीनी
---	---	------

(ख) उत्तरी बिहार के पिछड़े जिलों में उपक्रम स्थापित करने हेतु वर्ष 1977 व वर्ष 1978 (31-10-1978 तक) में पांच औद्योगिक लाईसेंस जारी किए गए थे। उत्तरी बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले दो उपक्रम तकनीकी विकास के महानिदेशालय में वर्ष 1977 व वर्ष 1978 (31-10-78 तक) पंजीयन थे। जारी किए गए औद्योगिक लाईसेंसों व पंजीकरण प्रभावपत्रों के व्योम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

4	मैसर्स नाथ बिहार सुगर मिल्स लि० जिला चम्पारन, बिहार (चम्पारन—बिहार)	चीनी
---	---	------

5	मैसर्स श्री कृष्ण जानोदय शुगर लि० पटना (सिवान—बिहार)	चीनी
---	--	------

रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

क्रम सं०	आवेदन-कर्ता का नाम और पता तथा उपक्रम का स्थान	उत्पादन की वस्तु
----------	---	------------------

(ग) उद्योग (विक्रम एवम् विनियमन अधिनियम, 1951) के अधीन जारी किया गया औद्योगिक लाईसेंस शुरू में दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है और उसे साधारणतया दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक लाईसेंस जारी होने के पश्चात नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित होने में साधारणतया उसे 4 वर्ष लग जाते हैं। तकनीकी विकास के महानिदेशालय की पंजीकरण योजना के अधीन औद्योगिक एकक को पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होता है। अतः इस अवस्था में यह पूर्वकथन समयपूर्व होगा कि उपर्युक्त लाईसेंसों/पंजीकरणों पर कब तक उत्पादन शुरू हो जायेगा।

1	मैसर्स बैजनाथ पेपर मिल्स (प्रा०) लि० एम० जी० रोड, तीसरी मंजिल, कलकत्ता (पुरनिया)	स्ट्र बोर्ड
---	--	-------------

2	मैसर्स सिव शम्भू ब्रान उद्योग लि० 25, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता (पुरनिया)	विलेय निस्सारण प्रक्रिया द्वारा चावल की भूसी का तेल
---	---	---